

नगर पालिका, देवली

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/DEOLI/FIRENOC/2025-26/55904
जारी दिनांक: 08-SEP-2025 वैधता दिनांक: 07-SEP-2027

प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती: PREM LAL YADAV
आवेदक का पता: BANTHALI ROAD, DOONI

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन SHREE KRISHNA COLLEGE DOONI, 00, BANTHALI ROAD, KHAJLA DHANI, , TONK, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह स्थाई (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्त:-

1. समय- समय पर नेशनल बिल्डिंग कोड में होने वाले संशोधनों की भी पालना करनी होगी।
2. उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होने की दिनांक से 1 वर्ष के लिए ही मान्य होगा
3. किसी भी प्रकार की विस्फोटक सामग्री भवन या परिसर में नहीं रखी जावेगी।
4. किसी भी प्रकार की लूज विद्युत फिटिंग नहीं होनी चाहिए।
5. उक्त एनओसी किसी भी भूमि संबंधित विवाद हेतु मान्य नहीं होगी।
6. अग्निशमन उपकरण समयावधि में रीफिल कराना होगा।
7. किसी भी प्रकार की आतिशबाजी उक्त स्थल के अन्दर न की जायें।
8. उक्त स्थल पर उत्पादन करने से पूर्व स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा।
9. उक्त स्थल पर निर्माण कार्य के समय सुरक्षा मापदंडों की पूर्ण पालना करनी होगी।
10. नेशनल बिल्डिंग कोड भाग-4 में होने वाले संशोधनों की पालना करना अनिवार्य होगा।
11. यह अस्थाई एनओसी एच.एस.डी. हेतु मान्य नहीं होगी।
12. फायर वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
13. यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा।
14. अग्निशमन यंत्रों के रख-रखाव में कमी एवं औचक निरीक्षण के दौरान अगर किसी भी प्रकार की कमी पाई गई तो अग्निशमन प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जावेगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।
15. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र रुफटॉप रेस्टोरेट के लिए मान्य नहीं हैं। जिस भाग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है वहां पर रुफटॉप रेस्टोरेट का संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।
16. भवन का मुख्य/अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नहीं पाए जाने कि स्थिति में यह अभिशेष पत्र निरस्त माना जाएगा।
17. फायर एनओसी की अवधि समाप्त होने से 15 दिवस पूर्व नवीनीकरण के लिये आवेदन करना होगा अन्यथा 10000 रुपये पेनल्टी के तौर पर देय होंगे।
18. नक्शों में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाता है तो आपके नक्शों को पुनः अनुमोदन कराया जाना अनिवार्य होगा।
19. पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे व पम्प व पूरा फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्यशील स्थिति में रखने को बाध्य होंगे।
20. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घंटे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे तथा ए एम सी करवायी जाकर सिस्टम का रख रखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा।



अग्निशमन अधिकारी
नगर पालिका, देवली

नगर पालिका, देवली

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

21. अग्निशमन प्रमाण पत्र को किसी भी प्रकार का स्वामित्व दस्तावेज नहीं माना जावे एवं प्रतिवर्ष नवीनीकरण करवाया जाना अनिवार्य होगा।
22. आपके स्थाई कर्मचारियों को अग्निशमन यंत्रों को चलाने का प्रशिक्षण आपके स्वयं के स्तर पर ही किया जावेगा।
23. भवन के समस्त स्टाफ व सिव्थोरिटी गार्ड्स को वर्ष में कम से कम दो बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा।



अग्निशमन अधिकारी
नगर पालिका, देवली